M.P. JUDICIAL SERVICES MAINS EXAMINATION TRANSLATION PRACTICE SET 3

TRANSLATIONS – ENGLISH

1. The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

2. The President may address either House of Parliament or both Houses assembled together, and for that purpose require the attendance of members.

3. The liability of the surety is co- extensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise provided by the contract.

4. "Judicial proceeding" includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath

5. No confession made to a police-officer3, shall be proved as against a person accused of any offence.

6. A person who finds goods belonging to another, and takes them into his custody, is subject to the same responsibility as a bailee.

7. The word "offence" includes every act committed outside India which, if committed in India, would be punishable under this Code.

8. No court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

9. Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children.

10. The Rent Controlling Authority shall maintain such of the registers prescribed for use in Civil Courts as may be necessary.

KARAT LAWZ ACADEMY

11. The State Government may, after consultation with the High Court, alter the limits or the number of such divisions and districts.

12. Plea of alibi must be established wholly and with certainty, which exclude the presence of accused at the time and place of occurrence.

13. Whoever, being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly, intentionally joins that assembly, or continues in it, is said to be a member of an unlawful assembly.

14. A guarantee which extends to a series of transactions, is called a "continuing guarantee".

15. In the performance of his duties the Attorney-General shall have right of audience in all courts in the territory of India.

KARAT LAWZ ACADEMY

TRANSLATIONS – HINDI

1. राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।

2. राष्ट्रपति, संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा ।

3. प्रतिभू का दायित्व मूलऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो ।

4. "न्यायिक कार्यवाही" के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है ।

5. किसी पुलिस आफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध साबित न की जायेगी ।

6. वह व्यक्ति, जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन उपनिहिती होता है ।

KARAT LAWZ ACADEMY

7. शब्द "अपराध" में ऐसा प्रत्येक अपराध सम्मिलित है जो भारत से बाहर किया गया है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता ।

8. प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

9. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी ।

10. व्यवहार न्यायालयों के उपयोग के लिये निर्धारित रजिस्टरों में से जो आवश्यक हो वे भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा रखे जायेंगे ।

11. राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, ऐसे खण्डो और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है ।

12. अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को पूर्ण रूप से तथा निश्चितता से साबित किया जाना चाहिए, जो घटना के समय तथा स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को विवर्जित करे ।

13. जो कोई उन् तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है, या

KARAT LAWZ ACADEMY

उससे बना रहता है, वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है ।

14. वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों की किसी आवली पर हो "चलत प्रत्याभूति" कहलाती है ।

15. महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायलयों में सुनवाई का अधिकार होगा ।

KARAT LAWZ ACADEMY